

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक—प्र०/ सांबि०पा०डि०क०लि०—०७/ २०१७
 सेवा में,

/पटना, दिनांक—

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
 बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० के क्षेत्राधीन नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड के तेल्मर में एक अदद ३३/११ के०वी० २X५ एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु ६.१४६८ करोड़ (छ: करोड़ चौदह लाख अड़सठ हजार) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में अवशेष राशि ४.१४६८ करोड़ (चार करोड़ चौदह लाख अड़सठ हजार) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश सं०—३८३१ दिनांक—२०.१२.२०१७ के द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० के क्षेत्राधीन नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड के तेल्मर में एक अदद ३३/११ के०वी० २X५ एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु ६.१४६८ करोड़ (छ: करोड़ चौदह लाख अड़सठ हजार) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१७—१८ में २.०० करोड़ (दो करोड़ रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के त्वरित गति से कार्यान्वयन हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० के द्वारा शेष राशि ४.१४६८ करोड़ (चार करोड़ चौदह लाख अड़सठ हजार) रूपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध करान्या जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० के क्षेत्राधीन नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड के तेल्मर में एक अदद ३३/११ के०वी० २X५ एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु ६.१४६८ करोड़ (छ: करोड़ चौदह लाख अड़सठ हजार) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में अवशेष राशि ४.१४६८ करोड़ (चार करोड़ चौदह लाख अड़सठ हजार) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष ४८०१—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय—उप मुख्य शीर्ष—०५ संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष—७८९—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष—०१०२—, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना, माँग सं०—१०, विपत्र कोड—१०—४८०१०५७८९०१०२ विषय शीर्ष ५४०१—निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष ८४४८— स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष—००, लघु शीर्ष—१२०—अन्य निधियाँ, उपशीर्ष—००४७— साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, व्यय शीर्ष—L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ—K—८४४८००१२०००४७ में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या— प्र०/सा०बि०पा०डि०क०लि०-०७/२०१७ के पृष्ठ संख्या-०६/टि० पर दिनांक—२९.११.२०१७ को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या— प्र०/सा०बि०पा०डि०क०लि०-०७/२०१७ के पृष्ठ संख्या-१४/टि० पर दिनांक—२५.०९.२०१८ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—प्र०/सा०बि०पा०डि०क०लि०-०७/२०१७

/पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:—महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—प्र०/सा०बि०पा०डि०क०लि०-०७/२०१७ १६२१

/पटना, दिनांक— ०१/१०/२०१८

प्रतिलिपि:—वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक, बिहार रेट एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।